

संख्या: शिक्षा-ई0डी0एन0(6)2016-नि0पा0पु0
उच्च शिक्षा निदेशालय।
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-171001

अगस्त



सेवा में,

समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश।

विषय:-

महात्मा गाँधी वर्दी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लडकों तथा लडकियों की वर्दियों की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा महात्मा गाँधी वर्दी योजना से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2016 तथा दिनांक 28-06-2016 द्वारा सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी छात्र-छात्राओं को वर्ष 2016-17 शैक्षणिक सत्र में निःशुल्क वर्दियां प्रदान करने हेतु आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने अधिनस्थ प्रत्येक प्राप्तकर्ता अधिकारियों (Indenting Officers/ GSSS Principals) को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने स्तर पर उक्त आपूर्ति आदेश कि प्रति भिजवाएं तथा उन्हे उक्त आदेशों के कियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी करें:-

1. वर्दियों की प्राप्ति अनुमोदित नमूनों के अनुसार शीघ्र प्राप्त करें तथा आपूर्ति किए गए कपडों/वर्दियों के मूल बिलों पर सैट- बार प्राप्त किए गए सैटों की संख्या,स्टाक प्राप्ति की तिथि दर्शाकर व मोहर सहित हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
2. आपूर्तिकर्ता को सम्बंधित शिक्षा विभाग के प्राप्तकर्ता अधिकारियों से वर्दियों के मूल सत्यापित कय बिल व जी. आर. हस्ताक्षर एवं मोहर सहित उपरान्त प्रबंधक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न0 16-17, एस.डी.ए. कमर्शियल कमपलैक्स कसुम्पटी, शिमला-171009 के कार्यालय को भुगतान हेतु भिजवाना सुनिश्चित करना होगा।
3. प्रत्येक प्राप्तकर्ता अधिकारी (Indenting Officer/ GSSS Principal) यह सुनिश्चित करें कि वर्दियों की प्राप्ति के समय उसके मूल बिल, जी.आर.लैब टैस्ट रिपोर्ट सहित प्राप्तकर्ता अधिकारियों को आपूर्तिकर्ता से पूर्ण रूप से प्राप्त होनी चाहिए।
4. प्रत्येक प्राप्तकर्ता अधिकारी (Indenting Officer /GSSS Principal) यह सुनिश्चित करे की आपूर्ति मास्टर सैम्पल के अनुसार ही प्राप्त हो जिसके दृष्टिगत प्राप्तकर्ता अधिकारियों को वर्दियोंकी आपूर्ति सैम्पल अनुसार प्राप्त करने के लिए उन्हें मास्टर सैम्पल शीघ्र उपलब्ध करवाए जा रहे है।
5. प्रत्येक प्राप्तकर्ता अधिकारी (Indenting Officer/ GSSS Principal) यह सुनिश्चित करे की वर्दियों की लैब टैस्टिंग हेतु प्रत्येक मांगकर्ता अधिकारी से वर्दी के पूर्ण सैट के दो-दो नमूने प्रबंधक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न0 16-17 एस.

23/8

9/8

23/8/16

10439
24/8

डी. ए. कमर्शियल कमप्लैक्स कसुम्पटी, शिमला-171009, के कार्यलय में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाये तथा लैब टैस्टिंग हेतु भेजे जाने वाले कपडों के नमूनों पर संबन्धित मांगकर्ता अधिकारियों से वर्दियों के प्रत्येक नमूनों पर मोहर सहित अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त, निम्न दर्शाए गए प्रमाण पत्र सहित प्रबंधक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न016-17 एस. डी.ए. कमर्शियल कमप्लैक्स कसुम्पटी, शिमला-171009, को उपलब्ध करवाये।

प्रमाण पत्र

क) स्कूल का नाम

ख) भेजे गये नमूनों की संख्या:


(हस्ताक्षर एवं संबन्धित अधिकारी की मोहर तथा वर्दियों के सैट न. के ब्यारे सहित)

ग) दिनांक जिस तिथी को सैम्पल लिया गया

घ) आपूर्तिकर्ता का नाम, बिल संख्या व दिनांक: (जिसके अन्तर्गत वर्दियां प्राप्त हुई)

हस्ताक्षर (मोहर सहित)
सक्षम अधिकारी का नाम
कार्यालय/स्कूल का
नाम

कृप्या इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझे।


निदेशक उच्चतर (शिक्षा)
हिमाच प्रदेश, शिमला-171001

प्राप्तिका संख्या : संख्या: ईडीएन-यू (जी-1) वर्दियां / - 47005-011
न्यायिक उच्च शिक्षा निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)

19-9-2016

प्रमाणित - प्रधानाचार्य रा0व0मा0पा0 अम्ब, हरोली बंगाणा मुबारिकपुर कलाह व अना (छात्र) का
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप शिक्षा निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)